कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) श्रीगंगानगर

—:: कार्यालय आदेश ::—

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक: शिविरा—माध्य /साप्र /बी—1/2856 /आरपीएससी—2013/17—18 दिनांक 22.2.2018 व 07.03.2018 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में चयनित आशार्थी को कनिष्ठ सहायक के पद पर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को सुपुर्द किये जाने पर इनकी नियुक्ति **कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड—II)** पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में फिक्स रेमूनरेशन पर की जाकर इनके नाम के सामने अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें दिनांक **23.3.2018** तक कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। ये नियुक्तियां डी0बी0 अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

एसबीसी वर्ग में अस्थाई रूप से चयनित आशार्थियों की नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464—1466/ 2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैप्टन गुरूवेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अध्यधीन रहेगी।

इन्हें परिवीक्षाकाल में कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड—II) पद पर नियुक्ति उपरान्त राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ—15(1)एफडी/रूलस/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एंव 09.12.2017 के प्रावधानानुसार **पे. मैट्रिक्स लेवल—5 में वर्णित फिक्स रेमूनरेशन 14600/—रूपये** प्रतिमाह देय होगा ।

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट व सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा । पूर्व मे राजकीय सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नही होगा ।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमाक एफ 7(1)डीओपी/ए—II/95 दिनांक 8.4.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.6.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नही होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र रू0 50/— के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे ।
3. राज्य से बाहर की संस्थायों से प्राप्त शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है । अतः जिन अभ्यर्थियों की योग्यता राज्य से बाहर की संस्थायों से अर्जित है उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थायों से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य होने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है । अतः कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से रू0 50/ के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व मे प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही पाई गई तो उन्हे प्रदत यह नियुक्ति आदेश निरस्त करने व उनके विरूद्व कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति मे यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

9/3/2018

4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल आवेदन मे लगी फोटो से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र है जिसका आवेदन फार्म पर फोटो चस्पा है ।

5. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र प्राप्त करे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है। इनके त्रुटीपूर्ण जाली अथवा कूटरचित पाए जाने की दशा मे उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।

6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7 (3)कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबृद्वता निर्धारित प्रपत्र मे प्राप्त की जावे।

7. प्रोबेशन अवधि मे इन्हे स्थिर मानदेय देय होगा । अन्य भत्ते देय नही होगे । पूर्व मे सेवारत कार्मिक अपने पूर्व पद के वेतन का विकल्प दे सकतें है ।

8. एक कलैन्डर वर्ष मे 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण वर्ष न होने की स्थिति मे आनुपातिक गणना करे । अन्य किसी प्रकार के अवकाश देय नही होगे । प्रसूति व पितृत्व अवकाश नियमानुसार देय होगें ।

9. स्थिर मानदेय से कटौतियां (राज्य बीमा एवं जीपीएफ) नही होगी ।

10. परीविक्षा काल मे कनिष्ठ सहायक को रू 14600– फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ते यथा डी0ए0 /मकान किराया/बोनस/विशेष वेतन आदि देय नही होगें ।

11. इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क.7(2) डीओपी /ए–11/06 दिनांक 20.1.2006 एवं वित नियम विभाग के नोटिफिकेशन एफ 12(6)एफ डी/रूल्स/06/ दिनांक 13.3.2006 के प्रावधानानुसार **प्रोबेशनर ट्रेनी** के रूप मे फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्त किया जाता है।

12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिए गणना योग्य नही माना जाएगा ।

13. फिक्स रेम्युनरेशन से नियमानुसार पेंशन अंशदान की कटौती की जावेगी ।

14. संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण किये जाने अथवा न किये जाने की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करेगें।

15. **संस्था प्रधानों को पाबन्द किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व नियुक्ति अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रमाण पत्रों की जाचॅ करवाई जानी शेष है । मैरिट क्रमाक 4301, 5072, 5132 पर अंकित उक्त आशार्थी द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच नही करवाई गई है । अतः उक्त आशार्थी को इस कार्यालय से अनुमति उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जावे।**

16. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह सबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक सन्तान नही होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रोफोर्मा में कार्मिक(क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.2.11 एवं दिनांक 20.11.15 की अनुपालना में पूर्ति करावे । गर्भवती महिला आशार्थी के लिये कार्मिक(क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.8.2005 का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावे।

17–अभ्यार्थी के कार्यग्रहण करने पर उसकी कार्यग्रहण रिर्पोट एंव स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को तुरन्त की व्यवस्था करे।

क्र. स	मैरिट क्रमांक	नाम आशार्थी मय पिता का नाम	BIRTH DATE	आवेदित वर्ग	पदस्थापन स्थान (रामावि / राबामावि / राउमावि / राबाउमावि)
1	4301	सुशील कुमार / मनीराम गॉव–अराईयावाली बरानी पोस्ट आफिस–ख्यालीवाला 6 एफडी (रायसिहनगर)	02-07-1993	SC	राउमावि, सरदारगढ (सूरतगढ)
2	5072	श्रीराम / खेताराम चक 4 एनडी, पोस्ट–3 एनडी तह– अनूपगढ	02-04-1994	SCRG	राउमावि करडू सूरतगढ
3	5132	मंन्जु / पोखरराम वार्ड न–13 श्री करणपुर	20-07-1994	BGWE	राउमावि, नाहरावाली (घडसाना)

9/3/2018
(तेजा सिह)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक,श्रीगंगानगर

क्रमांक–जिशिअ / मा0 / गंगा / संस्था–III / नियु0–आरपीएससी / 2018 / 2882 दिनाक– 9-3-2018
प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1–श्रीमान निदेशक मा0शि0 राजस्थान–बीकानेर ।
2–श्रीमान उपनिदेशक मा0शि0 बीकानेर मण्डल बीकानेर ।
3–संबधित संस्था प्रधान..
4– सम्बन्धित कार्मिक..
5– वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय
6–रक्षित पत्रावली

9/3/2018
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक,श्रीगंगानगर